न्यायालय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश क्रम-4 कोटा (राज0)

पीठासीन अधिकारी — बीना गुप्ता, R.J.S. (DJ Cadre)
आप.विविध(जमानत आवेदन) संख्या — 1294/2026
सीएनआर नंबर — RJKT010030802026

अब्दुल रईस पुत्र अब्दुल रसीद उम्र 40 साल निवासी पुराने थाने के पास कनवास थाना कनवास जिला कोटा

प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य — अप्रार्थी

जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 एफआईआर नंबर 199/2026 पुलिस थाना इटावा जिला कोटा अन्तर्गत धारा 308 (2), 308 (7) बीएनएस

उपस्थित -
श्री आनन्द, अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त
अपर लोक अभियोजक-राज्य की ओर से

: : आदेश : : दिनांक : 09-06-2026

प्रार्थी/अभियुक्त अब्दुल रईस की ओर से जरिये अधिवक्ता यह जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 श्रीमान सैशन न्यायाधीश कोटा के समक्ष पेश किया गया, जो विधिवत सुनवाई व निस्तारण हेतु इस न्यायालय को अंतरित होकर प्राप्त हुआ । प्रार्थनापत्र की नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई । बहस प्रार्थनापत्र सुनी गई, केसडायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी-अभियुक्त दिनांक 22-05-2026 से अभिरक्षा में हैं।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए यह तर्क दिया है कि प्रार्थी/अभियुक्त सर्वथा निर्दोष है उसका उक्त अपराध से कोई सरोकार नहीं है, उसे झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त कोटा जिले का निवासी हैं जिसके फरार होने व गवाहान को टेम्परविद किये जाने की कोई सम्भावना नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में कोई जमानत प्रार्थना पत्र पेश नहीं

Authenticated Document

किया गया है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगना बताते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक ने इसका विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध गंभीर अपराध कारित करने का आरोप है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाये।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा S.B.Criminal Misc. Bail Application No. 13510/2020 शीर्षक ''जुगल बनाम राजस्थान राज्य'' में पारित आदेश दिनांक 25-11-2020 की अनुपालना में पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि प्रार्थी-अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में दो प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है-

क्र.सं.	प्रकरण सं.	धारा	थाना	विवरण
1	91/2004	307, 341, 323, 504, 34 भादंसं व धारा 3 एससी/एसटी एक्ट	कनवास	दोषमुक्त
2	33/2011	341, 323, 452 भादंसं	कनवास	दोषमुक्त

उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया तथा केसडायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। केसडायरी के अवलोकन से जाहिर है कि फरियादी महेश मीणा ने पुलिस थाना इटावा जिला कोटा में उपस्थित होकर इस आशय की तहरीरी रिपोर्ट पेश की कि वह इटावा में जिम चलाने का काम करता है। उसकी एनी टाईम फिटनेस के नाम से जिम है। दिनांक 13.05.2026 को उसके पास एक इंस्ट्राग्राम आईडी maya meena.haha से मैसेज आया, जिसमें एक लड़की ने अपना नाम माया शर्मा निवासी कोटा की होना बताया तथा उसने वेट कम करने की जिम ट्रेनिंग देने हेतु मैसेज किया एवं जिम ट्रेनिंग की फीस देना भी बताया। उसी दिन उस लड़की ने अपने मोबाइल नम्बर 9352471328 से उसके पास फोन किया और वॉटसएप मैसेज भी किया। वह माही शर्मा नाम की लडकी के कहने पर दिनांक 16.05.2026 को शाम के समय कोटा गया। फिर उसने उसके पास अपने मोबाइल नम्बर 9352471328 से रात को 9.30 बजे करीब कॉल किया और उसे किताब सर्किल पर लेने के लिये बुलाया। वह किताब सर्किल चला गया। वहां पर वह लड़की उसे मिल गई तथा फरियादी कोटा में हरबार सुकून होटल में रुकता है एवं वह और माही शर्मा सुकून होटल कोटा चले गये। वहां पर उन्होंने रूम बुक करा लिया। माही ने उसके साथ रोमांस स्टार्ट कर दिया, उसके मना करने पर वह नहीं मानी एवं दोनों के आपस में राजी खुशी से एक बार सेक्स हो गया। तभी 11.30 बजे करीब माही के किसी का वीडियो कॉल आया, जिस पर वह बाहर जाकर बातचीत की तथा माही ने रात को ही घर जाने हेतु व सुबह 6.00 बजे जिम पर मिलने हेतु कहा।

Authenticated Document

ऐसा कहकर वह रात को 12.00 बजे करीब होटल से चली गई। दूसरे दिन 12.00 बजे करीब दिन में उसके पास माही ने फोन पर उसके घरवालों को पता चल जाना बताया। दिनांक 18.05.2026 को सुबह 10.30 एएम करीब पर उसके पास माही के फोन से ही कॉल आया और एक लड़के ने बात की जिसने बोला कि "तू मेरी लड़की को कहां पर लेकर गया था, मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, तेरे को मैं जैल में सड़ा दूंगा"। जिस पर उसने लडकी के साथ कोई गलत नहीं किया जाना बताया। फिर दिन के 11.00 बजे करीब उसके पडौसी योगेन्द्र मीणा का फोन आया जिसने अपने मोबाइल नम्बर 7240282734 से फोन किया और कोटा में मैटर होने बाबत कथन किया। उसने दोस्त रियासत अली द्वारा फोन पर बताया जाना बताया। थोडी देर बाद रियासत अली उर्फ सोनू ने अपने मोबाइल नम्बर 9982618351 से वॉटसएप कॉल कर किया एवं फरियादी को वहां से निकल जाने व मैटर को यह संभाल लेना बताया । इसके पश्चात शाम के समय योगेन्द्र मीणा द्वारा लड़की वाले 15 लाख रूपये फरियादी से मांग किया जाना बताया। उसने सोनू रियासत व लड़की 7 लाख पर राजीनामा करने हेतु कहा, जिस पर फरियादी ने इतनी पैसे की व्यवस्था नहीं होना जाहिर किया। दिनांक 20.05.2026 को योगेन्द्र मीणा ने फोन पर 5 लाख में डील होना बताया। उसने उसी दिन थाना इटावा पर रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसके पश्चात योगेन्द्र मीणा ने फोन पर 3.50 लाख रुपये में डील किया जाना बताया, जिस पर ढीपरी कालीसिंध चौराहे पर पैसे देने हेतू फरियादी को बताया गया। जिस पर उसने यह सूचना आज पुलिस को दी। वह योगेन्द्र के साथ उसकी काले रंग की ब्रेजा कार में ढीपरी के लिये निकल गया तथा उनसे बातचीत करके ढीपरी चौराहे पर पैसे देने हेतु कहा। फरियादी ने योगेन्द्र मीणा को पुलिस का पता नहीं चलने दिया। उनके कुछ दूर पीछे पीछे इटावा पुलिस टीम अपनी प्राईवेट गाडी से चल रही थी। इसके पश्चात वह व योगेंद्र ढीपरी चौराहे पर पहुंचे तब योगेंद्र ने गाडी को सुनसान रास्ते पर ले जाकर बातचीत करने हेतु कहा। वह फरियादी को कोलाना सफेदा जंगल की तरफ ले गये व पीछे-पीछे एक स्विफ्ट डिजायर गाडी सिल्वर रंग की आयी जिसमें दो लड़के बैठे थे, फरियादी उनसे बातचीत करने लगा तो पुलिस ने आकर उनको पकड लिया.....इत्यादि ।

तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त व सहअभियुक्तगण के विरूद्ध अंतर्गत धारा 308 (2), 308 (7) बीएनएस में आरोप प्रथमदृष्टया प्रमाणित पाया है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त व सहअभियुक्तगण ने फरियादी के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करवाने का नाम लेकर मुकदमा दर्ज नहीं करवाने के नाम पर 15 लाख रूपये की मांग की, जिससे फरियादी को आत्महत्या के लिये मजबूर कर दिया। इसके पश्चात बलात्कार का मामला दर्ज नहीं करवाने के नाम पर 3.50 लाख रूपये लेने हेतु डील फाईनल कर मौके पर दिनांक 21.05.2026 को प्रार्थी/अभियुक्त अब्दुल रईस

Authenticated Document

अन्य सहअभियुक्तगण के साथ उक्त रूपये लेने आया । पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी/अभियुक्त की घटना में सक्रिय भूमिका दर्शित होती है तथा प्रार्थी/अभियुक्त की इस घटना में संलिप्तता रही है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त को इस प्रक्रम पर जमानत का लाभ दिये जाने से गवाहों को डराने धमकाने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध गंभीर अपराध कारित करने का आरोप है। वर्तमान में इस प्रकार के अपराधों में निरन्तर बढोतरी हो रही है। इस स्तर पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों व अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित, युक्तियुक्त व सद्भावी प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त अब्दुल रईस की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(बीना गुप्ता)
अपर सेशन न्यायाधीश,
क्रम-4, कोटा

आदेश आज दिनांक 09-06-2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ASHA JAIN
Digitally signed by ASHA JAIN
Date: 2026.06.09 12:45:37 +0530

(बीना गुप्ता)
अपर सेशन न्यायाधीश,
क्रम-4, कोटा

Authenticated Document